LALITPUR POLICE

प्रेस नोट

दिनांक-30.06.2024

थाना कोतवाली पुलिस, स्वाट टीम व सर्विलांस व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं का झूठा अपहरण कर 05 लाख रूपये की फिरौती मांगने , फिरौती न मिलने पर अपहर्त की हत्या कर देने की झूठी सूचना देने वाली घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी, परिक्षेत्र झांसी के निर्देश के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक महोदय के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम व सर्विलांस व साइबर थाने की संयुक्त टीम द्वारा स्वयं का अपहरण कर 05 लाख रूपये की फिरौती मांगने तथा फिरौती न मिलने पर हत्या कर देने की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त1. पुष्पेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 बहादुर सिंह निवासी ग्राम बडगाना थाना नाराहट जिला ललितपुर उम्र 32 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर विरधा बस स्टाप चौकी क्षेत्र विरधा थाना कोत0 ललितपुर से गिरफ्तार कर मु.अ.सं.-529/2024 धारा धारा - 364ए सपठित धारा 116 IPC में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का विवरण- मुकदमा वादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बहादुर सिंह निवासी बड़गाना थाना नाराहट ललितपुर द्वारा थाने पर वादी के भाई की गुम होने की सूचना दी गयी थी। दी गयी सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गयी थी।

अपहृत के भाई जितेन्द्र द्वारा पुनः दिनांक 27.06.2024 थाने पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के भाई को गुप्त तरीके से बंधक बना लेने के सम्बंध में सूचना दी गयी।

सूचना के आधार पर थाना कोतवाली में दिनांक 27.06.2024 को सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अपहृत की सकुशल बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया था।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त की बरमदगी हेतु क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में चार टीमे स्वाट टीम, साइबर, सर्विलांस व थाना स्तर से गठित की गयी है। अपहर्त के मोबाइल का सर्विलांस के माध्यम से विश्लेशण किया गया। सर्विलांस से प्राप्त साक्ष्यों व वादी व परिवारीजनो से घटना के सम्बन्ध में जानकारी की गयी। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना करते हुए गहनता से जाँच की गयी तो गठित टीम द्वारा अभियुक्त पुष्पेन्द्र को स्वयं के अपहरण की साजिश रचने में गिरफ्तार किया गया।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्त पुष्पेन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि साहब मेरे ऊपर रिश्तेदार रामरतन चणरउ महरौनी वाले के रूपये वापस करने का दवाव था , मेरे रिश्तेदार रामरतन ने मेरे पीएनबी के खाते में मसूर (दाल) का करीब एक लाख साठ हजार रुपये डलवाये थे वो सारे रूपये मै एवीएटर ऐप पर आनलाइन गेम खेलकर हार गया। रामरतन के रूपये मुझे वापस ना करना पडे इसलिए मैनें अपना फोन बन्द करके दिनांक 25.06.2024 को ट्रेन पकड़ कर भुसावल (महाराष्ट्र) चला गया था। भूसावल में काम की तलाश कर रहा था तभी फेसबुक पर देखा कि मेरे परिवार वालो ने मेरे गायब होने के सम्बन्ध मे गुमशुदगी थाना कोतवाली ललितपुर में दर्ज करा दिये हैं तो मुझे लगा कि अब मौका मिल गया कि घर वालों से रूपये मांग कर अपने रिश्तेदार रामरतन के पैसे वापस कर दूं। फिर मैने अपने मोबाइल से अपने भांजे राहुल के वाट्सअप पर एक मैसेज व करीब 05 सेकेण्ड का वीडियो बनाकर भेजा। मैसेज में लिखा कि अपने भाई को जिन्दा देखना चाहते हो तो पांच लाख रुपया भेजो पता हम बतायेंगे। वीडियो में मैने बेहोश होने का नाटक किया। जिससे मेरे घरवालों को शक न हो और लगे की किसी ने मेरा अपहरण कर लिया है। फिर भूसावल से मैं घर वालों से फिरौती के रूपये लेने के लिए ललितपुर आ गया। ललितपुर आकर मैं सोच रहा था कि कहां जाऊ तथा किसके एकाउण्ट में अपने घर वालों से फरौती के रूपये मगवाऊ। अपहरण का झूठा षडयंत्र बनाकर घर वालो से फिरौती लेने के लिए आज विरधा बस स्टैण्ड पर खडा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। साहब मुझसे गलती हो गयी। मुझे माफ कर दीजिए।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम</u>-

1 पुष्पेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 बहादुर सिंह निवासी ग्राम बडगाना थाना नाराहट जिला ललितपुर उम्र 32 वर्ष

<u>अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-</u>

1- 9500 रुपये, एक अदद मोबाइल पोको IMEI नं0 862201057522832/78, 862201057522840/78 जिसमें बीएसएनएल सिम नं0 8991553094177056524

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1- श्री रमेश चन्द्र मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली
2- उ0नि0 अतुल तिवारी चौकी प्रभारी गोविन्दसागर बाँध थाना कोतवाली
3- कां0 अजय कुमार थाना कोतवाली
4- कां0 आरक्षी राहुल कुमार थाना कोतवाली
5- का0 विक्रम सिंह थाना कोतवाली
6- श्री राहुल राठौर मय स्वाट टीम
7- सर्विलांस टीम
8- साइबर टीम

<u>नोट-</u> अनावरण करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशिस्त पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।